समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 24 August 2026

तेजस्वी यादव पटना मे हिरासत मे लिए गए, AK-47 मामले के विरोध मे RJD का राजभवन मार्च; पुलिस ने वाटर कैनन चलाए

Sanket Morankar

Published on 19 Aug 2026

बिहार की राजधानी पटना में बुधवार, **19 अगस्त 2026** को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राजभवन मार्च के दौरान नेता प्रतिपक्ष **तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत मे ले लिया।** यह मार्च सिवान में पिछले महीने छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर AK-47 से फायरिंग किए जाने के मामले में बिहार सरकार से जवाब मांगने के लिए आयोजित किया गया था।

RJD के इस मार्च में पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत **जेपी गोलंबर** से हुई, जहां से पार्टी कार्यकर्ता और नेता राजभवन की ओर पैदल मार्च करने के लिए निकले।

AK-47 मामले को लेकर सरकार से जवाब की मांग

RJD का आरोप है कि सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। यह प्रदर्शन छात्रों द्वारा कथित **पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं** के विरोध में किया गया था।

सिवान में **25 जुलाई** को हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया था। वीडियो में एक पुलिसकर्मी को कथित तौर पर AK-47 के साथ दिखाई देने के बाद संबंधित कांस्टेबल को निलंबित किया गया था।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने पक्ष में कहा है कि कांस्टेबल **अभिषेक कुमार** प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घिर गया था और उसने स्थिति से निपटने के लिए AK-47 से चार राउंड हवा में चलाए थे। सरकार के अनुसार, उन चार राउंड से कोई प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ।

तेजस्वी यादव ने कहा- छात्रों को न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष

प्रदर्शन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक विपक्ष का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सरकार पर छात्रों

की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही।

मार्च के दौरान एक प्रदर्शनकारी के हाथ में **AK-47 की डमी** भी दिखाई दी, जिसके जरिए प्रदर्शनकारियों ने सिवान की घटना का विरोध जताया।

पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल

राजभवन की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने **वाटर कैनन का इस्तेमाल** किया। इसके बाद प्रदर्शन स्थल पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

वाटर कैनन के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बिहार के उपमुख्यमंत्री **सम्राट चौधरी के आदेश पर** की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आंदोलन नहीं रुकेगा और जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है।

मीसा भारती भी मार्च में हुईं शामिल

RJD सांसद **मीसा भारती** भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाले गए मार्च में शामिल हुईं। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और बिहार के छात्रों एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया।

मीसा भारती ने सिवान की घटना को लेकर बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल की बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार की है, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि प्रदर्शन स्थल पर आधुनिक हथियार ले जाने की अनुमति किस स्तर से दी गई थी।

उन्होंने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठाई।

सिवान घटना पर पुलिस का क्या कहना है?

सिवान में **25 जुलाई 2026** को हुई घटना के बाद संबंधित पुलिस कांस्टेबल को निलंबित किया जा चुका है। पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि फायरिंग में किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं लगी थी और मामले की जांच शुरू की गई है।

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस को गोली नहीं चलाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। सरकार के अनुसार, AK-47 से चार राउंड फायरिंग हवा में की गई थी।

हालांकि, घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब और जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहा है।

पटना मे AK-47 मामले को लेकर RJD का राजभवन मार्च राजनीतिक रूप से गरमा गया। मार्च का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया, जबकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। RJD ने सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। वहीं, बिहार सरकार का कहना है कि पुलिसकर्मी ने भीड़ में घिरने के बाद हवा में चार राउंड फायर किए थे और इस फायरिंग से कोई घायल नहीं हुआ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.